



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹22,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 350/2018 धारा-452,354,376,504,506 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय F.TC.-1/GST/NDPS Act जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर 1.अभियुक्त वीरेन्द्र विश्वकर्मा उर्फ छोटू पुत्र महेश्वरीदीन नि० ग्राम टेढ़ा थाना सुमेरपुर जिला हमीरपुर को 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹22,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
श्री राजेश कुमार
तिवारी



विवेचक-
एसओ अखिलेश
यादव



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का० जगत सिंह